

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

Not present  
16/7/2018  
गिरफ्तारी

16/7/18

आज पक्षावधि तलब हुस्ते पर केस हुई कबिल  
शायल उपो/वकील शायल द्वारा मूल शक  
विज्ञ किया जा चुका है अतः प्राथम पत्र  
T.I की आगे चलाने का कोई अर्थविल  
नही है अतः प्राथम पत्र T.I शायल  
खसफ किया जाता है पक्षावधि केवल  
शुमार बकर बाद तलब हुस्ते पर दाखिल  
की जावे।

अजिंता कलक्टर  
बाधनवास (सं. नं०)